

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE AND

P.S.(थाना): LAHAUL & SPITI

Year(वर्ष): 2023

FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0003

Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):

11/10/2023 06:03 PM

2. S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	4
2	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	5
3	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	6
4	IPC 1860	477-A
5	IPC 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): Intervening Day

Date From(दिनांक से): 31/12/2022

Date To(दिनांक तक): 11/10/2023

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 12:00 AM

Time To (समय तक): 04:42 PM

(b) Information received at P.S.(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date(दिनांक): 11/10/2023

Time (समय): 04:42 PM

(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ):

Entry No.(प्रविष्टि सं.): 005

Time (समय): 11/10/2023 04:42 PM

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH-EAST, 28 Km(s) Beat No(बीट सं.):

(b) Address(पता): Sissu

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो)

Name of P.S.(थाना का नाम):

District(State)(ज़िला(राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Sanjay Kumar

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 26/11/1983

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)
----------------	-------------------------------	-------------------------

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
-----------------	------------------------------	---------------

1	Present Address	VILLAGE-Kelong, PS-LAHAUL & SPITI, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE-Keylong, PS:KEYLONG, DISTRICT-LAHAUL & SPITI, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल 91-8219401713

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात/ संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name(रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थायी पता)
1	Balak Ram		VILLAGE-BO Chandra Valley ,PS-KEYLONG,DISTRICT-LAHAUL & SPITI, STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-BO Chandra Valley ,PS-KEYLONG,DISTRICT-LAHAUL & SPITI, STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
2	Satpal		VILLAGE-Forest Gaurd Forest Beat SISSU,PS-KEYLONG,DISTRICT-LAHAUL & SPITI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-Forest Gaurd Forest Beat SISSU,PS-KEYLONG,DISTRICT-LAHAUL & SPITI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
3	Duni Chand	:SH Gopal Chand	VILLAGE-Garshala PO Sainj ,PS-SAINJ, DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-Garshala PO Sainj ,PS-SAINJ, DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
4	Tek Singh	:Bar Chand	VILLAGE-Rahee po baloichowki ,PS-BALI CHOWKI,DISTRICT-MANDI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-Rahee po baloichowki ,PS-BALI CHOWKI,DISTRICT-MANDI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
5	Padam Dev	:Dot Ram	VILLAGE-Thuari PO Larji ,PS-BANJAR (SERAJ),DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-Thuari PO Larji ,PS-BANJAR (SERAJ),DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
6	Girdhari Lal	:Dot Ram	VILLAGE-Matla po Ropa Sainj ,PS-SAINJ, DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-Matla po Ropa Sainj ,PS-SAINJ, DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
7	Kamal Nain	:Dumnu Ram	VILLAGE-Dhaman PO Larji ,PS-BANJAR (SERAJ),DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-Dhaman PO Larji ,PS-BANJAR (SERAJ),DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
8	Yan singh	:Kehar Singh	VILLAGE-Pattal PO Kanoun ,PS-BANJAR (SERAJ),DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-Pattal PO Kanoun ,PS-BANJAR (SERAJ),DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
9	Sonam	:King lama	VILLAGE-VPO Sainj KULLU ,PS-SAINJ, DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-VPO Sainj KULLU ,PS-SAINJ, DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)
-----------------	----------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

इस समय एक अदद Self contained Complaint शिकायत पत्र संख्या 06/22 LOCAL लिखित DySP Sanjay Kumar प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना में प्राप्त हुआ जिसका सार निम्नलिखित है: "MHC रा0 स0 एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, केलांग जिला लाहौल स्पीति विषय- शिकायत पत्र सं0 06/22(Local) में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु self contained complaint. श्रीमान जी, निवेदन है कि थाना में source information प्राप्त हुई कि वन विभाग के द्वारा सीसु झील के चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट की दीवार लगाई है जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है तथा सरकारी पैसे का गबन किया गया है। इस पर यह source information report आवश्यक आदेश हेतु रेंज कार्यालय मण्डी को भेजी गई जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय रा०स० एवं भ्र०रो० ब्यूरो मध्य खण्ड मण्डी ने इस मामले में विस्तृत जांच करने के आदेश दिये। 2. यह जांच मुझ पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा की गई है। जांच पर पाया गया है कि दिनांक 30/08/22 को उपायुक्त लाहौल के द्वारा Lake Bundling के लिये RD wise कुल 43.61

लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति वन मण्डलाधिकारी केलांग को दी है तथा यह राशि जिला पर्यटन अधिकारी के हैड से debitable थी। Lake bundling के कार्य की Assessment लोक निर्माण विभाग की तकनीकी टीम के द्वारा करवाकर Assessment Report हासिल की गई जिसके अवलोकन पर पाया गया कि RD no. 150-278 mtr में 437413/-रुपये की राशि खर्च की गई है जबकि रिकार्ड के मुताबिक 495000/-रुपये की राशि खर्च की गई है। RD no. 560-680 mtr में 377312-रुपये की राशि खर्च की गई है जबकि रिकार्ड के मुताबिक 497000/-रुपये की राशि खर्च की गई है। RD no. 680-800 mtr में 397831-रुपये की राशि खर्च की गई है जबकि रिकार्ड के मुताबिक 464000/-रुपये की राशि खर्च की गई है। 3. इस प्रकार श्री बालक राम BO के द्वारा RD 150-278 mtr, RD 560-680 mtr तथा RD 680-800 mtr पर कार्य की quantity मापन पुस्तिका में ज्यादा दिखाई गई है जबकि मौका पर Assessment के दौरान कार्य की quantity इन उपरोक्त तीन RDs पर कम पाई गई है। इस प्रकार श्री बालक राम BO के द्वारा मापन पुस्तिका में कार्य की quantity के बारे जानबुझकर झुठा इन्द्राज किया गया है। 4. दिनांक 12-04-2023 को श्री बालक राम BO की उपस्थिति में HPPWD की तकनीकी टीम के सदस्यों की सहायता से सिस्सू में Lake Bundling Work के निर्माण में इस्तेमाल किये गये Cement Mortar के 12 नमूना जात तथा CC on top bunding के 4 नमूना जात उठाये गये। प्रत्येक RD से Cement mortar के दो-दो नमूना जात उठाये गये जिन्हें परीक्षण हेतु RFSL Mandi भेजा गया जहां से दिनांक 04-07-2023 को Report प्राप्त हुई। estimate के मुताबिक Random Rubble Masonary में Cement Mortar की specification 1:6 (1 cement: 6 sand) तथा Cement concrete flooring की specification 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate) है। 5. RFSL मण्डी की रिपोर्ट के आधार पर सामग्री की गुणवत्ता के बारे HPPWD की जिस तकनीकी टीम की सहायता से नमूनाजात उठाये गये थे उससे राय हासिल करने के लिये अधिशाषी अभियंता चिनाब वैली मण्डल हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग उदयपुर के माध्यम से पत्राचार किया गया जिन्होंने अपने कार्यालय के पत्र सं0 6161-62 दिनांक 04/08/23 के मुताबिक अपनी राय दी जिसके मुताबिक items specification के मुताबिक execute नहीं की गई है। 6. रिकार्ड के अवलोकन पर पाया गया है कि RD 0-150 mtr पर RR Masonary का कार्य श्री टेक सिंह ठेकेदार, RD 150-278 mtr पर RR Masonary का कार्य श्री गिरधारी लाल ठेकेदार, RD 278-410 mtr पर RR Masonary का कार्य श्री सोनम ठेकेदार, RD 410-560 mtr पर RR Masonary का कार्य श्री यान सिंह ठेकेदार, RD 560-680 mtr पर RR Masonary का कार्य श्री कमल नैन ठेकेदार, RD 680-800 mtr पर RR Masonary का कार्य श्री पदम देव ठेकेदार के द्वारा किया गया है। CC on top bunding का कार्य श्री दुनी चंद ठेकेदार के द्वारा किया गया है। 7. श्री बालक राम वन खण्ड अधिकारी वन खण्ड चंदा ने इस कार्य को चैक किया है तथा इसने ही इस कार्य की मापन पुस्तिका भरी है। श्री बालक राम वन खण्ड अधिकारी ने इस कार्य को सही ढंग से चैक नहीं किया है तथा इस कार्य को standard specification के मुताबिक करवाने में असफल रहा है। श्री बालक राम वन खण्ड अधिकारी ने मापन पुस्तिका में जानबुझकर झुठा इन्द्राज किया है। इस प्रकार श्री बालक राम वन खण्ड अधिकारी ने ठेकेदारों के साथ मिलीभगत सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। 8. श्री सतपाल सिंह वन बीट सिस्सू में बतौर वन रक्षक तैनात है। इसी वन बीट के अंतर्गत यह कार्य किया गया है। श्री सतपाल सिंह ने यह पुरा कार्य अपनी देखरेख में करवाया है तथा चैक किया है। ठेकेदारों के बिलों पर भी इसने अपने हस्ताक्षर किये हैं। लेकिन श्री सतपाल सिंह वन रक्षक इस कार्य को standard specification के मुताबिक करवाने में असफल रहा है। इस प्रकार श्री सतपाल सिंह वन रक्षक ने ठेकेदारों के साथ मिलीभगत सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। 9. जांच पर पाया गया है कि ठेकेदारों श्री टेक सिंह, श्री गिरधारी लाल, श्री सोनम, श्री यान सिंह, श्री कमल नैन, श्री पदम देव के द्वारा RR Masonary का कार्य किया गया है। श्री दुनी चंद ठेकेदार के द्वारा CC on top bunding का कार्य किया गया है। इन सभी ठेकेदारों के द्वारा निर्माण कार्य standard specification के मुताबिक नहीं किया गया है। ठेकेदारों ने भी ठेके की शर्तों के मुताबिक कार्य नहीं किया है तथा श्री बालक राम वन खण्ड अधिकारी तथा श्री सतपाल सिंह वन रक्षक के साथ मिलीभगत करके सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। 10. इस प्रकार श्री बालक राम BO के द्वारा ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके मापन पुस्तिका में झुठा इन्द्राज करना, कम काम के लिये ज्यादा अदायगी करना, कार्य की निगरानी/चैकिंग करने में असफल रहना तथा इस कार्य को standard specification के मुताबिक करवाने में असफल रहना जुर्म u/s 5, 6 of HPPSCP Act 1983, 477 A & 120 B IPC, श्री सतपाल वन रक्षक का इस कार्य को standard specification के मुताबिक करवाने में असफल रहना तथा ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करना जुर्म u/s 5 of HPPSCP Act 1983, & 120 B IPC तथा ठेकेदारों श्री टेक सिंह, श्री गिरधारी लाल, श्री सोनम, श्री यान सिंह, श्री कमल नैन, श्री पदम देव तथा श्री दुनी चंद के द्वारा standard specification के मुताबिक काम न करना तथा श्री बालक राम BO तथा श्री सतपाल वन रक्षक के साथ मिलीभगत करना जुर्म u/s 4 of HPPSCP Act 1983 & 120 B IPC का बकुह में आना पाया गया है जिस पर इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करें। हस्ताक्षर (अंग्रेजी) संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक/थाना प्रभारी, रा0 स0 एवं भ्र0 रोधी ब्यूरो, केलांग जिला लाहौल स्पीति दिनांक 11/10/23

कार्यवाही पुलिस:- उक्त आमद Self contained Complaint शिकायत पत्र संख्या 06/22 LOCAL लिखित DySP Sanjay Kumar को शब्द व शब्द लिखा गया। जिसके आधार पर श्री बालक राम BO के द्वारा ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके मापन पुस्तिका में झूठा इन्द्राज करना , कम काम के लिये ज्यादा अदायगी करना, कार्य की निगरानी/ चैकिंग करने में असफल रहना तथा इस कार्य को Standard Specification के मुताबिक करवाने में असफल रहना जुर्म u/s 5,6 of HPPSCP Act, 1983 ,477A &120B IPC, श्री सतपाल वन रक्षक का इस कार्य को Standard Specification के मुताबिक करवाने में असफल रहना तथा ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करना जुर्म u/s 5 of HPPSCP Act 1983, & 120B IPC तथा ठेकेदारो श्री टेक सिंह, श्री गिरधारी लाल, श्री सोनम , श्री यान सिंह, श्री कमल नैन , श्री पदम देव तथा श्री दुनी चन्द के द्वारा Standard specification के मुताबिक काम न करना तथा श्री बालक राम BO तथा श्री सतपाल वन रक्षक के साथ मिलीभगत करना जुर्म u/s 4 of HPPSCP Act 1983 & 120 B IPC का बकूह में आना पाया जा रहा है जिस पर अभियोग संख्या 03/2023 दिनांक 11.10.2023 u/s 4,5,6 of HPPSCP Act 1983 ,477 A & 120 B IPC कम्प्यूटर के माध्यम से पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की आवश्यक प्रतियां तैयार करके डाक व ई-मेल के माध्यम से माननीय अदालत व उच्च अधिकारियों की सेवा में भेजी जा रही है। बकूह का इन्द्राज मुतलका रजिस्टर में हस्व जाव्ता किया जा रहा है। मिस्ल मुकदमा तैयार करके व आदेश उप पुलिस अधीक्षक तफतीश हेतु हबाले निरीक्षक श्याम लाल के हवाले की जा रही है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है।):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम): Shyam Lal

Rank (पद): INSP. (Inspector)

No(सं.): NA

to take up the investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

Transferred to P.S.(थाना):

District(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Sanjay Kumar

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No(सं.): NA

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

[illegible]

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)